

२५<sup>९</sup>/<sub>२५</sub>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवजें लगाई जाने के बावजूद प्रार्थी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी और अदम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3  
सहायक क्लिंकर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली